न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–325/17

1. नारायणी पत्नी गोपीराम,
2. पुष्पादेवी पत्नी सुरेशचन्द,
3. आशीष पुत्र सुरेशचन्द,
4. नरेश पुत्र गोपीराम, समस्त जाति ब्राहाम्ण, निवासीगण वार्ड नम्बर–17, मौहल्ला बूचाहेडा, तहसील कोटपुतली, जिला जयपुर, राजस्थान।

––अपीलान्ट्स

बनाम

01. शान्ती देवी बेवा सुन्दरलाल,
02. दीपक कुमार पुत्र सुन्दरलाल,
03. ओमप्रकाश पुत्र सुन्दरलाल,
04. पुष्पा पुत्री सुन्दरलाल,
05. उषा पुत्री सुन्दरलाल,
06. अमरनाथ पुत्र भोरेलाल,
07. सतीश पुत्र भोरेलाल,
08. कपूरचन्द, समस्त जाति ब्राहाम्ण, निवासीयान मोहल्ला बूचाहेडा, तहसील कोटपुतली जिला जयपुर, राजस्थान।
09. विक्रम पुत्र रामकरण, जाति गुर्जर निवासी सुन्दरपुरा, तहसील कोटपुतली जिला जयपुर।
10. सरकार जरिये नायब तहसीलदार, कोटपुतली, जिला जयपुर।
11. मनीष पुत्र सुरेशचन्द, जाति ब्राहाम्ण, निवासी वार्ड नम्बर 17, मौहल्ला बूचाहेडा, तहसील कोटपुतली, जिला जयपुर।
12. बीना पुत्री सुरेशचन्द,
13. दिनेश पुत्र गोपीराम, जाति ब्राहाम्ण, निवासीयान वार्ड नम्बर 17 मौहल्ला बूचाहेडा, तहसील कोटपुतली, जिला जयपुर।
14. सब रजिस्ट्रार, कोटपुतली, तहसील कोटपुतली, जिला जयपुर, राजस्थान।

––रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 04.10.2017

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय नायब तहसीलदार कोटपुतली के आदेश दिनांक 22.08.2017 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि नायब तहसीलदार ने नामान्तरकरण संख्या 361 पर आज्ञा दिनांक 22.08.2017 तस्दीक किये जाने सम्बन्धी आदेश पारित करते समय इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु की ओर कतई ध्यान नही दिया कि इन्ही समान पक्षकारान के मध्य सक्षम सिविल एवं राजस्व न्यायालय में राजस्व व सिविल वाद चल रहे है, ऐसी परिस्थितियों में नायब तहसीलदार कोटपुतली को

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

नामान्तरकरण तस्दीक नही करना चाहिये था तथा नामान्तरकरण की समरी प्रोसिडिन्स को स्थगित कर देना चाहिये था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नही करते हुये आज्ञा जैर अपील पारित करने में गंभीर कानूनी भूल की है।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने कथन किया है कि अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार के समक्ष अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटपुतली के समक्ष लम्बित वाद के साथ संलग्न टी.आई. प्रार्थना पत्र संख्या 61/15 में पारित स्थगन आदेश दिनांक 23.09.15 बाबत मौके व रिकार्ड की यथास्थिति की प्रमाणित प्रतिलिपि भी प्रस्तुत कर दी थी तथा यह भी जाहिर कर दिया था कि आर्डरशीट दिनांक 12.07.2017 से उक्त स्थगन प्रार्थना पत्र में आगामी पेशी दिनांक 14.09.2017 नियत है तथा स्थगन आदेश आज भी प्रभावी है अतः नामान्तरकरण की कार्यवाही नही की जावे, किन्तु फिर भी नायब तहसीलदार कोटपुतली ने अपनी आज्ञा दिनांक 22.08.2017 के द्वारा रेस्पोडेन्ट के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 361 तस्दीक कर दिया, जो पूर्णतया शून्य अवैध एवं क्षेत्राधिकार विहिन होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि नायब तहसीलदार ने नामान्तरकरण तस्दीक करते समय राजस्थान लैण्ड रिकार्ड रूल्स के नियम 121(4) व लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 130 से 133 की भी कतई कोई पालना नही की, इस कारण भी नामान्तरकरण संख्या 361 तस्दीक आज्ञा नायब तहसीलदार दिनांक 22.08.2017 पूर्णतया अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने कथन किया है कि नायब तहसीलदार ने नामान्तरकरण संख्या 361 दिनांक 22.08.2017 को तस्दीक करते समय अपीलान्ट व प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई का कई कोई मौका एवं नोटिस आदि भी नही दिया, इस कारण भी आज्ञा जैर अपील न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि नायब तहसीलदार कोटपुतली ने आज्ञा दिनांक 22.08.2017 के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 361 रेस्पोडेन्ट के पक्ष मे तस्दीक करने समय किसी भी कानूनी प्रक्रिया का कतई कोई पालना नही किया गया, इस कारण भी आज्ञा व नामान्तरकरण जैर अपील निरस्तनीय है। उन्होने कथन किया है कि नायब तहसीलदार कोटपुतली ने रेस्पोडेन्ट के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 361 तस्दीक करते समय आवश्यक तत्व कब्जे की कतई कोई जांच नही की, एवं ना ही नामान्तरकरण सम्बन्धी प्रक्रिया की ही कोई पालना की, इस कारण भी आज्ञा जैर अपील निरस्तनीय है। उन्होने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री की इजराय की कार्यवाही रेस्पोडेन्ट द्वारा नही कराये जाने के बावजूद भी दोनों पक्षों को सुने बिना ही एकपक्षीय रूप से रेस्पोडेन्ट के पक्ष में नामान्तरकरण तस्दीक करने की कार्यवाही करने में गंभीर कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आज्ञा नायब तहसीलदार कोटपुतली दिनांक 22.08.2017 बाबत तस्दीक किये जाने नामान्तरकरण

P.T.O.

संख्या 361 निरस्त फरमायी जाकर प्रकरण दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर व मौके व कब्जे आदि की जांच कर प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही किये जाने हेत प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि तहसीलदार कोटपुतली ने नामान्तरकरण जैर बहस संख्या 361 उपखण्ड अधिकारी, कोटपुतली द्वारा पारित डिक्री दिनांक 21.07.2017 की पालना में अपने आदेश दिनांक 21.08.2017 की पालना में तस्दीक किया गया है जिसको चुनौती देने का अधिकार अपीलार्थीगण को कतई विधिक प्राप्त नही है एवं नामान्तरकरण संख्या 361 के विरूद्ध न्यायालय श्रीमान् के समक्ष यह हस्तगत अपील पोषणीय ही नही है एवं ना ही संधाणीय है। अतः प्रारम्भिक आपत्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को पोषणीय एवं संधारणीय ना होने से इसी स्तर पर अपील को खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि नामान्तकरण संख्या 361 वाके ग्राम श्यामनगर तहसीलदार कोटपुतली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटपुतली के आदेश दिनांक 21.07.17 की पालना में दिनांक 22.08.17 को स्वीकार किया गया है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटपुतली के समक्ष उभयपक्ष उभयपक्ष के मध्य विवादग्रस्त नही था ऐसी स्थिति में हस्तगत अपील की सुनवाई के क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलान्ट न्यायालय हाजा के समक्ष पोषणीय नही होने से खारिज की जाती है।

(राजेश्वर सिंह)
संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 04.10.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर